

तत्काल/तिथिबद्ध/अति आवश्यक।

प्रेषक

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

सेवा में

1. निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी, हरियाणा, गुडगांव
2. सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, अम्बाला, फतेहाबाद, पंचकूला, रोहतक, सोनीपत, मेवात, भिवानी, रेवाड़ी, सिरसा, नारनौल, कैथल, जीन्द एवं गुडगांव को छोड़कर)
3. सभी जिला शिक्षा अधिकारी
4. सभी प्राचार्य, डाईट/ गैटी

यादी क्रमांक 15/11-13 एच0 आर0 एल0 (4)

दिनांक पंचकूला। 26-6-2015

विषय: प्राध्यापकों के पद पर पदोन्नति हेतु मामले भेजने बारे।

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र क्रमांक 15/11-13 एच0 आर0 एल0 (4)

दिनांक 19.06.2015 के संदर्भ में।

संदर्भित पत्र द्वारा संबंधित योग्य मास्टरज/मिस्ट्रेसिज व सी एण्ड वी अध्यापको की भिन्न-भिन्न विषयों की सूची भेजते हुये अनुरोध किया गया था कि पदोन्नति मामले/संबंधित अपेक्षित दस्तावेज दिनांक 23.06.2015 तक हर अवस्था में निदेशालय भिजवाये तथा यदि कोई लैफ्ट आउट केस रह जाता है तो इसके लिए संबंधित कर्मचारी/अधीक्षक तथा जिला शिक्षा अधिकारी/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे। यह सूची निदेशालय की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है, परन्तु खेद का विषय है कि आपके कार्यालय द्वारा आज दिनांक 26.06.2015 तक भी संबंधित कर्मचारियों के मामले नहीं भेजे गए हैं। जबकि इस संबंध में दिनांक 24.06.2015 को दूरभाष से संदेश भी दे दिया गया था कि संबंधित कर्मचारियों के पदोन्नति मामले दिनांक 25.06.2015 तक हर अवस्था में विशेष वाहक के माध्यम से निदेशालय भिजवाना सुनिश्चित करें।

अतः पुनः अनुरोध है कि अपने कार्यालय के संबंधित उप-जिला शिक्षा अधिकारी, संबंधित लिपिक/सहायक एवं अधीक्षक को निर्देश देवे कि वे निजि स्तर पर दिनांक 27.06.2015 को योग्य एवं जिन मास्टर/मिस्ट्रेसिज व सी0एण्ड0वी अध्यापको के नाम **Provisional Eligible List** में नाम नहीं है और वह नियमानुसार पदोन्नति के योग्य है, उनका रिकार्ड/दस्तावेज भी भेजे जाये।

मास्टर/मिस्ट्रेसिज व सी एण्ड वी अध्यापको का पूर्ण रिकार्ड/दस्तावेज लेकर संलग्न प्रोफार्मा में भरकर एवं Soft copy पैन डाईव में लेकर निदेशालय में उपस्थित होवे। मामले में किसी भी प्रकार की देरी के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे व चूककर्ता संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/जिला मौलिक अधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

अधीक्षक एच0आर0एल0
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला

